न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 19 / 21 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2021 / 29

उनवान

1. गिर्राज सिंह पुत्र दयाल सिंह
2. श्रीमती सत्यवती पुत्री दयाल सिंह

} जाति ठाकुर निवासी रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर

........................**अपीलांट।**

बनाम

1. बृजेन्द्र सिंह
2. महेन्द्र सिंह
3. रामप्रकाश सिंह

} पुत्रगण देशराज सिंह जाति ठाकुर निवासी रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.... **रेस्पोंडेंट।**

पदेन राजस्व अपील अधिकारी ... भरतपुर (राज.)

अपील संख्याः– 18 / 21 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2021 / 30

उनवान

1. बृजेन्द्र सिंह
2. महेन्द्र सिंह
3. रामप्रकाश सिंह

} पुत्रान स्व0 देशराज सिंह जाति ठाकुर निवासी कस्बा रूदावल उप तहसील रूदावल जिला भरतपुर।

........................**अपीलांट।**

बनाम

1. गिर्राज सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति ठाकुर निवासी कस्बा रूदावल सब तहसील रूदावल जिला भरतपुर।
2. श्रीमती सत्यवती पुत्री दयाल सिंह पत्नी दिलीप सिंह जाति ठाकुर निवासी पाली दरवाजा महुवा तहसील महुवा जिला दौसा।

.... **रेस्पोंडेंट।**

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दिनांक 28.02.2020 उनवानी गिर्राज बनाम बृजेन्द्र सिंह मु0न0 30/17

अभिभाषकगण :–

1. वकील श्री दुलीचन्द उपस्थित पक्षकार बृजेन्द्र सिंह पक्ष।
2. वकील श्री महाराज सिंह उपस्थित पक्षकार गिर्राज पक्ष।

निर्णय दिनांक :– 10.10.2023

1. यह दोनों अपीले अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 28.02.2020 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी गिर्राज सिंह व अन्य ने मूल दावा के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध बृजेन्द्र व अन्य इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम रूदावल तहसील रूपवास में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण गिर्राज सिंह 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हैं। उक्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पूर्वजो से प्राप्त हुयी है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पिता दयाल सिंह व देशराज एवं पीता व महाराज सिंह संवत 2012 से ही विवादित आराजी पर खुदकाश्त दर्ज रहे हैं। जिनमें से महाराज सिंह लाबल्द विला औरत फौत हो गया व पीता का मौके पर कब्जा काश्त नहीं रहा। परन्तु अप्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियो से साज कर विवादित आराजी अकेले अपने नाम करा ली है, जो कि खिलाफ कानून है। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर अप्रार्थीगण विवादित आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमदा हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से विवादित आराजी के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों ने एक दूसरे के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता बृजेन्द्र सिंह पक्ष ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी के बृजेन्द्र वगै0 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा मौके पर काबिज हैं व ताहाल तक काश्त करते चले आ रहे हैं एवं नियमानुसार एक रिकार्डेड खातेदार को किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। विवादित आराजी से गिर्राज सिंह व अन्य का कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है एवं

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

ना ही वह कभी खातेदार रहे। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु का कोई विवेचन नहीं किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक गिर्राज सिंह पक्ष ने अपील मीमो के तथ्य को दौहराते हुये कथन किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश गिर्राज सिंह व अन्य के पक्ष में निष्क्रीय है। यह है कि गिर्राज सिंह व अन्य का विवादित आराजी पर 1/2 हिस्सा पर उनके पिता दयाल सिंह के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने गिर्राज सिंह व अन्य के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन भी पाया। परन्तु फिर भी मात्र राजस्व अभिलेख की सीमा तक ही स्थगन दिया गया है। जबकि गिर्राज सिंह के कब्जे काश्त 1/2 हिस्से से जबरन बेदखल ना करने व उन्हें 1/2 हिस्सा पर काश्त करने में कोई मदाखलत व मजाहमत नहीं करने का आदेश भी पारित किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन की आड में बृजेन्द्र सिंह पक्ष उनके कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर विवादित आराजी में 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त में हस्तक्षेप ना करने हेतु पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रकरण में विवादित आराजी बाबत् गिर्राज सिंह स्वयं को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित करने का दावा करते हैं। बृजेन्द्र सिंह उक्त तथ्य को नकारते हुये विवादित आराजी में उनका कोई कब्जा काश्त व खातेदारी अधिकारो का खण्डन करते हैं। हम पाते हैं कि विवादित आराजी बाबत् पक्षकारो का स्वत्व मूल वाद में निर्धारण होना शेष है। हम अभिभाषक बृजेन्द्र सिंह पक्ष की इस आपत्ति को भी अनदेखा नहीं कर सकते कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में मात्र इतना ही अंकित किया है कि "मेरे द्वारा उभयपक्ष के योग्य अभिभाषकगण के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, अपरिमित क्षति का मामला प्रार्थीगण को होना प्रतीत होता है" लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र के तीनों महत्वपूर्ण बिन्दुओ का कोई विवेचन अपीलाधीन आदेश में नहीं किया है कि किस प्रकार अथवा कौनसे रिकार्ड/दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थीगण के पक्ष में उक्त तीनों बिन्दु तय होते हैं। इस प्रकार का निर्णय चाहे कितने ही परीक्षण अन्वेषण एवं मानसिक परिश्रम उपरान्त लिखा गया हो, यह आभास कराता है कि निर्णय करते समय न्यायिक विवेक उपयोग नही हुआ है। न्याय होना ही पर्याप्त नही, होते हुए दिखना भी चाहिए। अतः इस प्रकार के निर्णय स्वीकार्य नही हो सकता है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि दोनों अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण मूल दावे की प्रकृति अनुसार उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः अधिकतम दो माह में विधि सम्मत एवं बोलता हुआ आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। तब तक अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेशयथावत रहेगा। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.10.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। दोनों पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 10.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर